I

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना- 800001

फोन- 0612-2231563, वेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 28/07/2026

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-01/2026 .1826. चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. **उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित 51 प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित हैं अथवा जिनका निर्वाचन देय है या जिनके पद रिक्त हैं।**

3. अत: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **कंडिका-5** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समितियों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 01.09.2026 (मंगलवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकार के **पत्रांक 1587 दिनांक 01.07.2026** द्वारा कट-ऑफ **तिथि 30.06.2026** निर्धारित करते हुए 37 पैक्स एवं **पत्रांक 1617 दिनांक 03.07.2026** द्वारा 14 पैक्स के मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसके अनुसार मतदाता सूची का **अंतिम प्रकाशन दिनांक 22.07.2026** को हो चुका है।

4. **उपर्युक्त के आलोक में अनुलग्नक-1 में अंकित कुल 51 प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स)** के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई०1 में सूचना का प्रकाशन	03.08.2026 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	19.08.2026 (बुधवार) एवं 20.08.2026 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक

(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	21.08.2026 (शुक्रवार) एवं 22.08.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	25.08.2026 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	01.09.2026 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	01.09.2026 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	03.09.2026 (गुरूवार)

5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अनधिक पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

6. सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक **प्रपत्र–ई० 1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना निर्धारित तिथि को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय–3 की कंडिका– (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना समाचार के रूप में कवरेज हेतु स्थानीय समाचार पत्रों को भेजी जाएगी। उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जाएगा।

7. **मतदान का समय 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक होगा।** प्राधिकार का निर्देश है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की **अवधि 7:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक** निर्धारित की जा सकती है। इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से उक्त तिथियों को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र–ई० 1) में किया जायेगा।

8. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति मतदान के पश्चात् उसी दिन अथवा अगले दिन को सुबह 08:00 बजे से शुरू की जाय। यदि मतगणना मतदान के दिन ही होती है तो कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि दूसरे दिन मतगणना करायी जाती है तो वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त पेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। **अनुलग्नक–2 पर संलग्न प्रपत्र–ई 1** में मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा। सभी प्रपत्रों "ई" (यथा–ई 1, ई 2 इत्यादि) में संशोधन किया गया है। अत: सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु "निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित)" में उल्लिखित प्रपत्रों

का ही उपयोग किया जायेगा। उक्त प्रपत्र प्राधिकार के वेबसाईट https://bsea.bihar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

9. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्पूर्ण घटनाओं की यथासंभव विडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

10. **निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट-1 में निर्देश दिये गये हैं।**

11. **निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई0 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-1 के निर्देशों के अनुरूप अपलोड करायेंगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।**

12. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नकः यथोक्त।

28.7.26

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1826 पटना/ दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

28.7.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1826 पटना/ दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०)/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि **दिनांक 12.08.2026** तक कृपया अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। पर्यवेक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1863 दिनांक 17.10.2024 द्वारा निर्देश निर्गत है।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

28.7.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1826 पटना/ दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

28.7.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1826 पटना/ दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.7.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1826 पटना/ दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपिः प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28.7.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1826 पटना/ दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

28.7.26

संयुक्त सचिव।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि एवं अभिलेख अपलोड करने से संबंधित निर्देश।

1. **निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट– http//bsea.bihar.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में ससमय निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है–**

क्र0	सूचना प्रविष्टि का समय	प्रविष्ट/ अपलोड की जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र– ई० 1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। **साथ ही प्रपत्र– ई० 1 को उपलोड भी करना है।**
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वत: ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।

2. प्रपत्र ई०–1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

3. **निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निम्नांकित अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड किया जाना है–**

क्र0	अभिलेख अपलोड का समय	अपलोड किये जाने वाले अभिलेख
i.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र– ई0 18)।
ii.	मतगणना के एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति

		को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-Pdf, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्या न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

प्रपत्र- ई0 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) एवं अंतिम मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अतएव निर्वाचन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने निगरानी में उक्त दोनों अभिलेखों को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायें। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जायेगा। वेबसाईट पर प्रविष्टि अथवा अभिलेख को अपलोड करने के संदर्भ में किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्राधिकार के पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता है। इसके अलावे निम्नांकित नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है-

1. श्री वेद प्रकाश - 7543014562
2. श्री चंदन कुमार- 9691523607

-0-

प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्सों) की सूची				
क्र0	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	अररिया	फारबिसगंज	बथनाहा प्राथमिक कृषि साख समिति	
2	अररिया	जोकीहाट	पथराबारी प्राथमिक कृषि साख समिति	
3	अररिया	नरपतगंज	मधुरा दक्षिण नगर पंचायत प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी ली०	
4	किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज नगर पंचायत पैक्स	
5	गया जी	खिजरसराय	उचौली प्राथमिक कृषि साख समिति	
6	गया जी	खिजरसराय	बिहटा प्राथमिक कृषि साख समिति	
7	गया जी	अतरी	जीरी प्राथमिक कृषि साख समिति	
8	गया जी	टिकारी	नगर परिषद् टिकारी चिरैली पैक्स	
9	गया जी	टिकारी	नगर परिषद् टिकारी पलुहड़ पैक्स	
10	दरभंगा	मनीगाछी	टटुआर प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड	
11	दरभंगा	मनीगाछी	राघोपुर दक्षिणी प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड	
12	दरभंगा	बेनीपुर	हावीभौआर प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड	
13	दरभंगा	हायाघाट	सिरनिया पूर्वी प्राथमिक कृषि साख समिति	
14	दरभंगा	हनुमान नगर	गोढ़ैला प्राथमिक कृषि साख समिति लि०	
15	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	कल्याणपुर	रघुनाथपुर प्राथमिक कृषि साख समिति	
16	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	चकिया	बरमदिया प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड.	
17	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	घोड़ासहन	कवैया प्राथमिक कृषि साख समिति	
18	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	पहाड़पुर	तेजपुरवा प्राथमिक कृषि साख समिति	
19	बक्सर	चौसा	बनारपुर प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी लिमिटेड बनारपुर	

20	भोजपुर	आरा	गंगहर प्राथमिक कृषि साख समिति	**रिक्त पदों का निर्वाचन-** पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)
21	भोजपुर	कोईलवर	धण्डिहां प्राथमिक कृषि साख समिति	**रिक्त पदों का निर्वाचन-** अध्यक्ष पद अनारक्षित- 01 (पुरूष/महिला)
22	मधुबनी	खजौली	बेटा ककरघटी प्राथमिक कृषि साख समिति	
23	मधुबनी	खजौली	भकुआ प्राथमिक कृषि साख समिति	
24	मधुबनी	जयनगर	देवधा मध्य प्राथमिक कृषि साख समिति	
25	मधुबनी	झंझारपुर	पिपरौरिया प्राथमिक कृषि साख समिति	
26	मधुबनी	झंझारपुर	सुखैत प्राथमिक कृषि साख समिति	
27	मधुबनी	लखनौर	कछुवी प्राथमिक कृषि साख समिति	
28	मधुबनी	लखनौर	कैथिनिया प्राथमिक कृषि साख समिति	
29	मधुबनी	बाबूबरही	बेला प्राथमिक कृषि साख समिति	**रिक्त पदों का निर्वाचन-** सामान्य वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)
30	मधुबनी	लौकही	नरहिया उत्तरी प्राथमिक कृषि साख समिति	
31	मधुबनी	बाबूबरही	घंघौर प्राथमिक कृषि साख समिति	
32	मधुबनी	राजनगर	सुगौना उत्तरी प्राथमिक कृषि साख समिति	**रिक्त पदों का निर्वाचन-** पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (पुरूष/महिला) अत्यंत पिछड़ा वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला) अनुसूचित जाति वर्ग सदस्य पद- 01 (महिला)
33	मधेपुरा	घैलाढ़	भान टेकठी प्राथमिक कृषि साख समिति	
34	रोहतास	कोचस	नरवार प्राथमिक कृषि साख समिति	
35	रोहतास	संझौली	उदयपुर प्राथमिक कृषि साख समिति	
36	लखीसराय	पिपरिया	सैदपुरा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिडेट	
37	लखीसराय	चानन	मलिया प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड	
38	लखीसराय	पिपरिया	रामचंद्रपुर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिडेट	

39	वैशाली	महुआ	गौसपुर चकमजाहिद पंचायत प्राथमिक कृषि साख समिति ली0	**रिक्त पदों का निर्वाचन-** अध्यक्ष पद अनारक्षित- 01 (पुरूष/महिला)
40	सारण	मांझी	मांझी पशिचमी पंचायत प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड	
41	सीवान	गुठनी	सोनहुला प्राथमिक कृषि साख समिति , गुठनी	
42	सीवान	दरौंदा	करसौत प्राथमिक कृषि साख समिति	
43	सीवान	दरौली	बलहुँ प्राथमिक कृषि साख समिति	
44	सीवान	बड़हरिया	चौकी हसन प्राथमिक कृषि साख समिति	
45	सीवान	बड़हरिया	दिनदयालपुर प्राथमिक कृषि साख समिति	
46	सीवान	बड़हरिया	भोपतपुर प्राथमिक कृषि साख समिति	
47	सीवान	बड़हरिया	माधोपुर प्राथमिक कृषि साख समिति	
48	सीवान	बड़हरिया	रसूलपुर प्राथमिक कृषि साख समिति	
49	सीवान	बड़हरिया	सुन्दरपुर प्राथमिक कृषि साख समिति	
50	अरवल	कुर्था	बारा प्राथमिक कृषि साख समिति	
51	अरवल	कुर्था	सचई प्राथमिक कृषि साख समिति	